


बिहार सरकार
परिवहन विभाग

सूचना

पत्रांक-04/STA-(विविध)-04/2022 परि०- 2861 पटना, दिनांक- 13/04/2026

निदेशानुसार सूचित किया जाता है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उपधारा-3(c-a) के तहत संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना एवं पूर्णियाँ द्वारा 05(पाँच) अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किये जाने हेतु अनुशंसा की गयी है। प्राप्त अनुशंसा के आलोक में अतिरिक्त नये अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों का प्रकाशन परिवहन विभाग के वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/transport> पर कर दिया गया है।

यदि इन मार्गों के संबंध में किसी व्यक्ति/वाहन स्वामी को कोई सुझाव/आपत्ति देना हो तो वे परिवहन विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना में दिनांक-17.04.2026 के अपराह्न 4:00 बजे तक अपनी आपत्ति/सुझाव लिखित रूप में समर्पित/उपलब्ध करा सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त सुझाव/आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।



सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार
बिहार, पटना

13/4/26

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68(3)(c-a) के तहत चिन्हित किये जाने हेतु वाहन स्वामी द्वारा अधियाचित
अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों की सूची :-

| क्र० सं० | मार्ग संख्या | मार्ग का नाम | मार्ग का भाया | मार्ग की दूरी (कि०मी०) | प्राधिकार का नाम |
|----------|--------------|-----------------------------|---|------------------------|---------------------|
| 1 | — | पटना से गयाजी | फतुहां, दनियावा, बिहारशरीफ, नालन्दा, राजगीर, गेहलौर | 153 | आर०टी०ए०, पटना |
| 2 | — | देव से पटना | औरंगाबाद, ओबरा, दाउदनगर, महेन्दिया, अरवल, पाली, नौबतपुर | 163 | आर०टी०ए०, पटना |
| 3 | — | घटकुसुम्भा(शेखपुरा) से पटना | माफो, मेहुस, गंगटीमोड़, सरमेरा | 128 | आर०टी०ए०, पटना |
| 4 | — | खाड़ीहाट से किशनगंज | पटुंगाहाट, मजगामा, अनगढ़, भवानीगंज, रहमतपाड़ा मस्तान चौक | 43 | आर०टी०ए०, पूर्णियां |
| 5 | — | रौटा से किशनगंज | शीशाबाड़ी, मोदो, मौदो, अलता हाट, पीपला, रहमतपाड़ा, मस्तान चौक | 40 | आर०टी०ए०, पूर्णियां |

५